फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

TR

केस संख्या : 73/24 श्रीमति सरस्वती बनाम कमली

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। प.के.उप.। प्रार्थी/अप्रार्थी का ला. पेशी पर बहस करे अन्यथा प्रा.पत्र गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 29/9/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	29/9/25	पत्रावली आज दिनांक 29/9/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/10/25 को पेश हो।	
	7/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। प.के.उप.। वास्ते बहस दिनांक 14/10/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	14/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। प.के.उप.। प्रार्थीया ने लिखित बहस पेश की। वास्ते आदेश दिनांक 31/10/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	31/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। प.के.उप.। प्रस्तुत तर्कों, तथ्यों व दस्तावेजों अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मामला, व अपूरणीय क्षति प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रा.पत्र [illegible] (खारिज) किया जाता है। विस्तृत [illegible] पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर [illegible] जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 73/2024

श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी राजेन्द्र बागडा, उम्र... वर्ष, जाति बागडा निवासी–लालचन्दपुरा झोटवाडा तहसील जयपुर जिला जयपुर राज.

.....प्रार्थी

बनाम

1. कमली पत्नी कालूराम पुत्री स्व. मुरली जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ग्राम घिनोई तहसील आमेर जिला जयपुर
2. लाली देवी पत्नी बनवारी पुत्री स्व. मुरली जाति बागडा ब्राहमण, निवासी– ग्राम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
3. गंगा देवी पत्नी सीताराम पुत्री स्व. मुरली जाति बागडा ब्राहमण, निवासी– ग्राम टाडावास तहसील जलसूजिला जयपुर
4. जमना देवी पत्नी स्व. नाथूराम पुत्री स्व. मुरली जाति बागडा ब्राहमण, निवासी–ग्राम टाडावास तहसील जालसू जिला जयपुर
5. ज्ञानू पत्नी बिरदीचन्द पुत्री स्व. मुरली जाति बागडा ब्राहमण, निवासी– ग्राम टाडावास तहसील जालस जिला जयपुर
6. अर्चना पत्नी स्व. राधेश्याम जाति बागडा ब्राहमण, निवासी– ग्राम ढाकावाला रामपुरा तहसील जिला जयपुर
7. मालीराम पुत्र स्व. मुरली जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील जालसू जिला जयपुर
9. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर

.....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 31.10.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का दुर्गाकावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 47 व पुराना खाता संख्या मे वर्णित खसरा नम्बरे/ 335 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275/336 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 रकबा 0.48 हैक्टेयर खसरा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

नम्बर 277/359 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 282 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता स्व. मुरलीजी थे जिनका सन् 2018 मे देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की माता श्रीमति प्रभाती देवी पत्नी स्व. मुरली का देहान्त भी दिनांक 19.07.2024 को हो चुका है इस प्रकार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 स्व. मुरली के विधिक वारिस है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ग्रामीण परिवेश होने के कारण उनके द्वारा अपने पिता स्व. मुरली का फौती नामान्तरण नही खुलवाया गया । प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में उल्लेखित कृषि भूमि जो स्व. मुरलीजी की खातेदारी में दर्ज थी जिनकी निर्वसीयत वसीयत मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा स्व. मुरली जी के विधिक वारिस होने के आधार पर निहित है तथा वर्तमान मे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है तथा यहा यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में उल्लेखित कृषि भूमि का विधि पूर्ण रूप से विभाजन नही हुआ है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 मनबट के आधार पर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में उल्लेखित कृषि भूमि पर काश्त कर रहे है। दिनांक 20.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर आये और प्रार्थीया को धमकी दी की वह प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि का बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्ति को बेचान करेगे, निर्माण कार्य करेगे तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करगे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उक्त प्रकार धमकी दिये जाने पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 से निवेदन किया कि पहले कृषि भूमि का विभाजन करवा लो तथा उसके बाद भूमि का विकय कर देना इतना सुनकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 आग बबूला हो गये तथा प्रार्थीया व उसके पति को धमकी दी की वे प्रार्थीया को शीघ्र ही उसकी कब्जेकाश्त की भूमि से जबरिया बेदखल करेगे इस कारण प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उक्त प्रकार धमकी दिये जाने के पश्चात प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 22.08.2024 को प्राप्त हुआ तब प्रार्थीया को जानकारी में आया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रार्थीया के पिता के नाम से है तथा जमाबन्दी में भौमी श्री गोपालजी के नाम रेफरेन्स प्रकरण नोट लगा हुआ है उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीया को काफी आश्चर्य हुआ चुकि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि प्रारम्भ से ही प्रार्थीया के पिता स्व. मुरली की खातेदारी में दर्ज रही है तथा कभी भी उक्त विवादित भूमि मंदिर के नाम नही रही । उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीया द्वारा दिनांक 22.08.2024 को हल्का पटवारी से उक्त नोट के बारे मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

जानकारी करी तथा हल्का पटवारी से उक्त नोट लगाने का कारण पुछा तो हल्का पटवारी द्वारा उक्त नोट के बाबत कोई जानकारी प्रार्थीया को नहीं दी गयी चुकि जमाबंदी मे अंकित नोट पर माफी श्री गोपालजी अंकित है उक्त नोट पर किसी भी सक्षम न्यायालय का आदेश व दिनांक का उल्लेख नही है ना ही यह उल्लेख है कि उक्त नोट जमाबंदी मे किस कारण वंश लगाया गया है तथा ना ही उक्त नोट के बाबत प्रार्थीया के पिता व उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को कोई नोटिस या सूचना प्रेषित नही की गयी चुकि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उक्त कृषि भूमि प्रारम्भ से ही खातेदारी की भूमि किस्म चाही 3 बारानी 2 गैर मुमकिन रास्ता जाब 2 चाही 3 के रूप में दर्ज रही है प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि कभी भी माफी गोपालजी की भूमि नहीं रही है। तत्पश्चात दिनांक 23.08.2024 को प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीया के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि मे अंकित माफी गोपाली जी नोट के बारे मे जानकारी करी तथा उक्त नोट किस सक्षम न्यायालय के आदेश से अंकित किया गया है किन्तु अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा उक्त बाबत कोई जानकारी नहीं दी गयी तथा प्रार्थीया से कहा की उक्त भूमि तो माफी श्री गोपालजी के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी में अंकित नोट माफी श्री गोपाल जी हटाने से साफ इंकार कर दिया । ऐसे में प्रार्थीया को यह अधिकार हासिल है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर जरिये न्यायालय घोषणा इस आशय की करवाये कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का दुर्गाकावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित नया खाता संख्या 47 व 335 रकबा 0.18 हैक्टेयर, पुराना खाता संख्या में वर्णित खसरा नम्बर खसरा नम्बर 7336 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 रकबा 0.48 हैक्टेयर खसरा नम्बर 277/359 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 282 रकबा 0. 55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर है मे स्व. मुरली की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने के आधार पर 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का दुर्गाकावास भू [illegible] निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 4[illegible] पुराना खाता 274 ü मे वर्णित खसरा नम्बर 335 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा [illegible] मे 215 41 274 /336 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 रकबा 0.48 हैक्टेयर खसरा नम्बर 277/359 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 282 रकबा 0. 55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

है के राजस्व रिकार्ड मे बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से जो माफी श्री गोपाल जी का नोट अंकित किया गया है उसे डिलीट कर प्रार्थीया के पिता के राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थीया की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा, मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 30.09.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु वाद तामील अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये जिनके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा पत्रावली वास्ते एकपक्षीय बहस हेतु नियत की गयी। प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का दुर्गाकावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 47 व पुराना खाता संख्या 41 में वर्णित खसरा नम्बर 274/335 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275/336 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 रकबा 0.48 हैक्टेयर खसरा नम्बर 277/359 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 282 रकबा 0. 55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर है। 3. यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता स्व. मुरलीजी थे जिनका सन् 2018 मे देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की माता श्रीमति प्रभाती देवी पत्नी स्व. मुरली का देहान्त भी दिनांक 19.07.2024 को हो चुका है इस प्रकार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या लगायत 7 स्व. मुरली के विधिक वारिस है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ग्रामीण परिवेश होने के कारण उनके द्वारा अपने पिता स्व. मुरली की खातेदारी नामान्तरण नही खुलवाया गया। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि स्व. मुरलीजी की खातेदारी मे दर्ज थी जिनकी निर्वसीयत वसीयत मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि मे प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा स्व. मुरली जी के विधिक वारिस होने के आधार पर निहित है तथा वर्तमान मे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। तथा यहा यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या लगायत 7 के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumah Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 मे उल्लेखित कृषि भूमि का विधि पूर्ण रूप से विभाजन नही हुआ है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत मनबट के आधार पर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर काश्त कर रहे है । दिनांक 20.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर आये और प्रार्थीया को धमकी दी की वह प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि का बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्ति को बेचान करेगे, निर्माण कार्य करेगे तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करगे । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उक्त प्रकार धमकी दिये जाने पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 से निवेदन किया कि पहले कृषि भूमि का विभाजन करवा लो तथा उसके बाद भूमि का विक्रय कर देना इतना सुनकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 आग बबूला हो गये तथा प्रार्थीया व उसके पति को धमकी दी की वे प्रार्थीया को शीघ्र ही उसकी कब्जेकाश्त की भूमि से जबरिया बेदखल करेगे इस कारण प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा उक्त प्रकार धमकी दिये जाने के पश्चात प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 22.08.2024 को प्राप्त हुयी तब प्रार्थीया की जानकारी मे आया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रार्थीया के पिता के नाम से है तथा जमाबंदी मे माफी श्री गोपालजी के नाम रेफरेन्स प्रकरण नोट लगा हुआ है। उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीया को काफी आश्चर्य हुआ चुकि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 मे उल्लेखित कृषि भूमि प्रारम्भ से ही प्रार्थीया के पिता स्व. मुरली की खातेदारी मे दर्ज रही है तथा कभी भी उक्त विवादित भूमि मंदिर के नाम नही रही । उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीया द्वारा दिनांक 22.08.2024 को हल्का पटवारी से उक्त नोट के बारे मे जानकारी करी तथा हल्का पटवारी से उक्त नोट लगाने का कारण पुछा तो हल्का पटवारी द्वारा उक्त नोट के बाबत कोई जानकारी प्रार्थीया को नही दी गयी चुकि जमाबंदी मे अंकित नोट पर माफी श्री गोपालजी अंकित है उक्त नोट पर किसी भी सक्षम न्यायालय का आदेश व दिनांक का उल्लेख नही है ना ही यह उल्लेख है कि उक्त नोट जमाबंदी मे किस कारण वश लगाया गया है तथा ना ही उक्त नोट के बाबत प्रार्थीया के पिता व उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को कोई नोटिस या सूचना प्रेषित नही की गयी चुकि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उक्त कृषि भूमि प्रारम्भ से ही खातेदारी की भूमि किस्म चाही 3 बारानी 2 गैर मुमकिन रास्ता जाब 2 चाही 3 के रूप मे दर्ज रही है प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि कभी भी माफी गोपालजी की भूमि नही रही है । तत्पश्चात दिनांक 23.08.2024 को प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीया के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि मे अंकित माफी गोपाली जी नोट के बारे मे जानकारी करी तथा उक्त नोट किस सक्षम न्यायालय के आदेश से अंकित किया गया है किन्तु अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा उक्त बाबत कोई जानकारी नहीं दी गयी तथा प्रार्थीया से कहा की उक्त भूमि तो माफी श्री गोपालजी के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी में अंकित नोट माफी श्री गोपाल जी हटाने से साफ इंकार कर दिया । ऐसे में प्रार्थीया को यह अधिकार हासिल है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर जरिये न्यायालय घोषणा इस आशय की करवाये कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 मे उल्लेखित कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का दुर्गाकावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 47 व पुराना खाता संख्या 41 में वर्णित खसरा नम्बर 274/335 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275/336 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 रकबा 0.48 हैक्टेयर खसरा नम्बर 277/359 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 282 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर है मे स्व. मुरली की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने के आधार पर 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का दुर्गाकावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 47 व पुराना खाता संख्या 41 में वर्णित खसरा नम्बर 274/335 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275/336 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 रकबा 0.48 हैक्टेयर खसरा नम्बर 277/359 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 282 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर है के राजस्व रिकार्ड मे बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से जो माफी श्री गोपाल जी का नोट अंकित किया गया है उसे डिलीट कर प्रार्थीया के पिता के राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या लगायत 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का दुर्गाकावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित न नया खाता संख्या 47 व पुराना खाता संख्या 41 मे वर्णित खसरा नम्बर 274/335 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275/336 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 रकबा 0.48 हैक्टेयर खसरा नम्बर 277/359 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 278 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.24 हैक्टेयर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0. 33 हैक्टेयर खसरा नम्बर 282 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर है को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, ना करे तथा ना ही वादग्रस्त कृषि भूमि के विशिष्ट भू भाग पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे, तथा अप्रार्थी संख्या 8 को इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबद करवाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 8 वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन के आधार पर प्रार्थीया को उसकी खातेदारी की भूमि से जबरिया बेदखल ना करे, ना ही काश्त करने मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

मदाखलत करे, तथा ना ही प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजी मे निहित हक व हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे तथा उपरोक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वय करे ना ही किसी ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, व वर्कमेन से करावे।

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से जो माफी श्री गोपाल जी का नोट लगा है वह डिलिट किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे जबकि प्रार्थी इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये कि किस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल कर रहे है, इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी को खुर्द बुर्द, मौका परिवर्तन कर रहे हो अर्थात प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, यहाँ पर प्रार्थीगण ने प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:51 IST
Reason: SelfAttested